



कार्यालय, लोक शिक्षण संचालनालय,
संभाग – भोपाल,
, मध्यप्रदेश



(मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र)

क्रमांक/CERT12009/2021/642261

SEHORE, दिनांक : 21-04-2022

प्रति,

SANSKAR ACADEMY OF EDUCATION

विषय – मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी करने विषयक

मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला मान्यता नियम 2017 के नियम (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपके आवेदन पत्र क्र. 642261 दिनांक 07-11-2021 से प्राप्त की गयी जानकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी जिला SEHORE के द्वारा किये गए परीक्षण के आधार पर हाई स्कूल (HS) स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण किया जाता है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

शाला का नाम : SANSKAR ACADEMY OF EDUCATION

शाला का DISE कोड : 23330414002

शाला का प्रकार : हाई स्कूल (HS)

माध्यम : English

वैधता सत्र : 2025-26

1. स्कूल उन्ही कक्षाओं व संकायों में प्रवेश दे सकेगा, जिनके लिए उन्हें मान्यता दी गई है।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा मान्यता या उसके विस्तार संबंधी जारी प्रमाण – पत्र प्राचार्य कक्ष में प्रदर्शित किया जायेगा।
3. स्कूल में कार्यरत प्राचार्य एवं अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे और स्कूल द्वारा छात्रों को किन्ही भी राजनैतिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
4. स्कूल, कार्यकरण के लिए आवश्यक विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लेखे और अन्य ऐसे समुचित अभिलेखों का संधारण करेगा। विभाग के अधिकारी आकस्मिक रूप से कभी भी इन अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेंगे।
5. स्कूल में अध्ययनरत छात्रों के पालकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु "पालक-शिक्षक संघ" का गठन किया जावेगा।
6. स्कूल, श्रेष्ठ अकादमिक गुणवत्ता के मापदण्ड प्राप्त करने हेतु सतत प्रयास करेगा। प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि में समस्त शिक्षकों को उनके सम्बंधित विषय में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जायेगा।
7. सम्यक निरीक्षण के पश्चात् एक बार मान्यता प्रदान कर दिए जाने पर सोसायटी /ट्रस्ट, मान्यता के समय दावाकृत किन्ही भी मापदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं। यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी /ट्रस्ट किन्ही मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक को नियम 11 के उपनियम(1)में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए स्कूल की मान्यता निलंबित करने और पश्चातवर्ती इसे वापस लेने की शक्ति होगी।
8. यदि नियम 5 और 9 के अधीन विहित मानकों, शर्तों और उत्तरदायित्वों तथा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं मार्गदर्शन का प्रथम दृष्टया पालन नहीं किया जाना पाया जाता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को जाँच के आधार पर स्कूल की मान्यता निलंबित करने की शक्ति होगी।
9. कारण बताओ सूचना पर जारी किए जाने की दशा में यदि सोसायटी /ट्रस्ट से प्राप्त उत्तर से संभागीय संयुक्त संचालक का समाधान नहीं होता है तो वह सम्बंधित को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् स्कूल की मान्यता उसके कारण विनिर्दिष्ट करते हुए रद्द कर सकेगा।
10. मान्यता के प्रत्याहरण होने पर, प्रस्तुत की गई सुरक्षा निधि को पूर्णतः या अंशतः, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, सम्पूत हो जाएगी।
11. माध्यमिक शिक्षा मंडल से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

Principal

Sanskar Academy of Education
Itawa Jaidi (Rehti) Distt. Sehore

संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण,
संभाग-भोपाल,
मध्यप्रदेश